

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 71]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 मार्च 2024—फाल्गुन 17, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2024

क्र. 4355-56-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 मार्च, 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०२४

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२४

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.
२. अधिनियम के वृहद् शीर्ष का संशोधन.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा ५ का संशोधन.
५. धारा ६ का संशोधन.
६. धारा २१ का संशोधन.
७. धारा २४ का संशोधन.
८. धारा २८ का संशोधन.
९. धारा ६१ का संशोधन.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०२४

## मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२४

[ दिनांक 7 मार्च, 2024 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई ; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 7 मार्च, 2024 को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२४ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा और इस संशोधन अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ (क्रमांक १९ सन् २०११) के अधीन मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध बैचों पर लागू नहीं होगी.

अधिनियम के वृहद् शीर्ष का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ (क्रमांक १९ सन् २०११) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के वृहद् शीर्ष में, शब्द "नर्सिंग" तथा शब्द "सह-चिकित्सा" का लोप किया जाए.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में,-

(क) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ग क) "मण्डल" से अभिप्रेत है, कर्मचारी चयन मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल."

(ख) खण्ड (घ) का लोप किया जाए.

(ग) खण्ड (फ) का लोप किया जाए.

(घ) खण्ड (य ज) का लोप किया जाए.

धारा ५ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ५ में, खण्ड (तैंतीस) में, शब्द "व्यापम" के स्थान पर, शब्द "कर्मचारी चयन मण्डल" स्थापित किए जाएं.

धारा ६ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ६ में,-

(एक) उपधारा (२) में, शब्द "नर्सिंग" तथा शब्द "सह-चिकित्सा" का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"(३) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात—

(क) ऐसे महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं को लागू नहीं होगी, जिन्हें यथास्थिति, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् द्वारा या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो;

- (ख) चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योग नेचुरोपैथी, सिद्ध या सहबद्ध विषयों के अध्यापन में लगे हुए किसी विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग को लागू नहीं होगी;
- (ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा संधारित या संबद्ध महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं को लागू नहीं होगी.”.

६. मूल अधिनियम की धारा २१ में, उपधारा (१) में, समूह-ग में, खण्ड (बारह) में, शब्द “नर्सिंग” तथा शब्द “सह-चिकित्सा” का लोप किया जाए. धारा २१ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा २४ में, उपधारा (१) में,-

धारा २४ का संशोधन.

(एक) खण्ड (सात) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(सात) संबद्ध महाविद्यालयों से दो विभागाध्यक्ष, जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे.”.

(दो) खण्ड (दस) में, शब्द “नर्सिंग” तथा शब्द “सह-चिकित्सा” का लोप किया जाए.

८. मूल अधिनियम की धारा २८ में, उपधारा (१) में, खण्ड (पांच) के परन्तुक में, शब्द “भारतीय नर्सिंग परिषद्” तथा शब्द “अथवा सह-चिकित्सा परिषद्” का लोप किया जाए. धारा २८ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ६१ में, उपधारा (१) में, शब्द “भारतीय नर्सिंग परिषद्” तथा शब्द “या सह-चिकित्सा परिषद्” का लोप किया जाए. धारा ६१ का संशोधन.

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2024

क्र. 4355-56-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No 2 OF 2024

THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN VISHWAVIDYALAYA

(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2024

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment to the long title of the Act.
3. Amendment of Section 2.
4. Amendment of Section 5.
5. Amendment of Section 6.
6. Amendment of Section 21.
7. Amendment of Section 24.
8. Amendment of Section 28.
9. Amendment of Section 61.

## MADHYA PRADESH ACT

No 2 OF 2024

THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN VISHWAVIDYALAYA  
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2024

[Received the assent of the Governor on the 7<sup>th</sup> March, 2024; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 7<sup>th</sup> March, 2024.]

**An Act to further amend the Madhya Pradesh Ayurvedic Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows :-

**Short title and commencement.**

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Ayurvedic Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2024.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette and nothing contained in this Amendment Act shall apply to batches affiliated to the Madhya Pradesh Ayurvedic Vishwavidyalaya under the Madhya Pradesh Ayurvedic Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 19 of 2011) before the commencement of this Act.

**Amendment to the long title of the Act.**

2. In the long title of the Madhya Pradesh Ayurvedic Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 19 of 2011), (hereinafter referred to as the principal Act), the word "Nursing" and the word "Paramedical" shall be omitted.

**Amendment of Section 2.**

3. In Section 2 of the Principal Act,-

(a) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ca) “Board” means the Employees Selection Board, Madhya Pradesh, Bhopal.”.

(b) Clause (s) shall be omitted.

(c) Clause (v) shall be omitted.

(d) Clause (zh) shall be omitted.

**Amendment of Section 5.**

4. In Section 5 of the principal Act, in clause (xxxiii), for the word "VYAPAM", the words "Employees Selection Board" shall be substituted.

**Amendment of Section 6.**

5. In Section 6 of the Principal Act,-

(i) in sub-section (2), the words "Nursing" and the word "Paramedical" shall be omitted;

(ii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-

“(3) Nothing contained in this section shall apply in case of—

(a) the colleges or schools or institutions which have not been approved by the Medical Council of India, Dental Council of India, Central Council of Homeopathy, Central Council of Indian Medicine, as the case may be, or the Government of Madhya Pradesh;

(b) teaching department of any University engaged in teaching of Medical, Dental, Ayurvedic, Unani, Homeopathy, Yoga, Naturopathy, Siddh or allied subjects;

(c) the colleges or schools or institutions maintained by, or affiliated to, a University or Board established by the Central Government.”.

- |  |   |                  |
|--|---|------------------|
| <p>6. In Section 21 of the Principal Act, in sub-section (1), in Group-C, in clause (xii), the word “Nursing” and word “Paramedical” shall be omitted.</p>   | <p><b>Amendment<br/>Section 21.</b></p> | <p><b>of</b></p> |
| <p>7. In Section 24 of the Principal Act, in sub-section (1),-</p> <p>(i) for clause (vii), the following clause shall be substituted, namely:-</p> <p style="padding-left: 40px;">“(vii) two heads of Department from affiliated colleges to be nominated by the Chancellor by rotation, according to seniority.”.</p> <p>(ii) in clause (x), the word “Nursing” and the word “Paramedical” shall be omitted.</p> | <p><b>Amendment<br/>Section 24.</b></p> | <p><b>of</b></p> |
| <p>8. In Section 28 of the Principal Act, in sub-section (1), in the proviso to clause (v), the words “Indian Nursing Council” and the words “or Paramedical Council” shall be omitted.</p>  | <p><b>Amendment<br/>Section 28.</b></p> | <p><b>of</b></p> |
| <p>9. In Section 61 of the Principal Act, in sub-section (1), the words “the Indian Nursing Council”, and the words “or the Paramedical Council” shall be omitted.</p>   | <p><b>Amendment<br/>Section 61.</b></p> | <p><b>of</b></p> |